सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

21 Falgun, 1941(S)

No. 146

Ranchi, Wednesday, 11th March, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 28/2019 – State Tax(Rate)

S.O. No. 14 Dated- 11th March, 2020-- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 41, -

(a) in column (3), for the figure "50", at both the places where they occur, the figure "20 " shall be substituted;

(b) for the entry in column (5), the following entries shall be substituted, namely, -

(5)
"Provided that the leased plots shall be used for the purpose for which they are allotted, that is, for industrial or financial activity in an industrial or financial business area: Provided further that the State Government concerned shall monitor and enforce the above condition as per the order issued by the State Government in this regard: Provided also that in case of any violation or subsequent change of land use, due to any reason whatsoever, the original less or, original lessee as well as any subsequent lessee or buyer or owner shall be jointly and severally liable to pay such amount of state tax, as would have been payable on the upfront amount charged for the long term lease of the plots but for the exemption contained herein, along with the applicable interest and penalty: Provided also that the lease agreement entered into by the original less or with the original lessee or subsequent lessee, or sub- lessee, as well as any subsequent lease or sale agreements, for lease or sale of such plots to subsequent lessees or buyers or owners shall incorporate in the terms and conditions, the fact that the state tax was exempted on the long term lease of the plots by the original less or to the original lessee subject to above condition and that the parties to the said agreements undertake to comply with the same.".

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of January, 2020.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Sukhdev Singh,
Additional Chief Secretary

Note: -The principal notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 21/2019 - State Tax (Rate), dated the 01st November, 2019 *vide* S.O. No. 89, dated the 01st November, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 28/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 14 दिनांक 11 मार्च, 2020-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 41 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में, अंक "50", उन दोनों जगहों पर जहां-जहां यह आए हों, के स्थान पर अंक "20" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(5)
बशर्ते कि पट्टे पर दिए गए प्लाट्स का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना होगा जिसके लिए इनका आबंटन किया गया हो, अर्थात् किसी औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र में औद्योगिक या वित्तीय कारोबार हेतु; बशर्ते और भी कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य सरकार इसकी परिवीक्षा करेगी और उपर्युक्त शर्त को लागू करेगी; बशर्ते और भी कि यदि कोई उल्लंघन होता है या बाद में भू-उपयोग में कोई परिवर्तन होता है, चाहे जिस किसी भी कारण से, तो मूल पट्टाकर्ता, मूल पट्टाग्राही साथ ही साथ तदंतर का कोई भी पट्टाग्राही या क्रेता या स्वामी संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी राज्य कर की उतनी राशि का भुगतान करने के लिए दायी होंगे जितनी कि यदि यह छूट न दी गई होती तो प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने की स्थिति में भारित "अपफ्रंट रकम" देय होता, साथ ही वे देय ब्याज तथा शास्ति का भी भुगतान करने के प्रति इसी प्रकार दायी होंगे । बशर्ते और भी कि यदि मूल पट्टाकर्ता का मूल पट्टाग्राही या तदंतर का पट्टाग्राही या उप पट्टाग्राही के साथ कोई करार होता है अथवा ऐसे प्लाट्स का तदंतर पट्टाग्राही या क्रेता या स्वामी के साथ पट्टे या बिक्री के लिए बाद में कोई पट्टा या बिक्री का करार होता है तो ऐसे करार की शर्तों में यह भी उल्लेख होगा कि उपर्युक्त शर्त के अधीन रहते हुए मूल पट्टाग्राही को मूल पट्टाकर्ता द्वारा प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने पर राज्य कर से छूट प्रदान की गई थी और उक्त करार के पक्षकार उक्त शर्त का अनुपालन करने का वचन देते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/03/2019]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,
अपर मुख्य सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 01 नवम्बर, 2019, एस. ओ. सं. 89, दिनांक 01 नवम्बर, 2019, के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 146 -- 50